संख्या- 105/2020/3167/71-1-2020-जी-401/2013

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 08 सितम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में निर्माणाधीन 100 सीटेड ब्वायज स्नातकोत्तर छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2020/204, दिनॉक 06-08-2020 के संदर्भ में अवगत कराना है कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 100 सीटेड ब्वायज स्नातकोत्तर छात्रावास के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आकलित पुनरीक्षित लागत रू0 1325.24 लाख + जी0एस0टी0 की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-79/2019/2198/71-1-2019-जी-401/2013, दिनॉक 27.09.2019 द्वारा प्रदान की गई। उक्त कार्य हेतु रू0 361.56 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-26/2016/2509/71-1-2015-जी-401/2013, दिनॉक 26.02.2016 द्वारा प्रदान की गई है। शासनादेश संख्या-11/2018/207/71-1-2018-जी-401/2013, दिनॉक 30.01.2018 द्वारा रू0 300.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-85/2018/1163/71-1-2018-जी-401/2013, दिनॉक 30.03.2018 द्वारा रू0 318.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। पुन: शासनादेश संख्या-80/2019/2865/71-1-2019-जी-401/2013, दिनॉक 27.09.2019 द्वारा रू0 279.02 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू0 1258.98 लाख धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 100 सीटेड ब्वायज स्नातकोत्तर छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 में से जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 76,85,537/- (रू0 छिहत्तर लाख पचासी हजार पॉच सौ सैतीस मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते/डाकघर में नही रखा जायेगा।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24.03.2020 तथा शासनादेश 07.04.2020 एवं 11.04.2020 में दी गई व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनॉक 07.04.2020 एवं 11.04.2020 के प्रतिबंधों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित वित्त नियंत्रक का होगा।
5- शासनादेश संख्या-26/2016/2509/71-1-2015-जी-401/2013, दिनॉक 26.02.2016 तथा शासनादेश संख्या-79/2019/2198/71-1-2019-जी-401/2013, दिनॉक 27.09.2019 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।
6- जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि के आंकलन से संतुष्ट हो जाने के बाद ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
7- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य के तहत् कोई अन्य 'कर' नहीं दिया गया है।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-759/दस-2020, दिनॉक 27 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:- 105/2020/3167(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।